रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20032026-271083
CG-DL-E-20032026-271083

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1360] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार , मार्च 19, 2026/फाल्गुन 28, 1947
No. 1360] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 19, 2026/PHALGUNA 28, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 मार्च, 2026

का.आ. 1425(अ).— केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. **1443 तारीख 26/03/2025**, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा महाराष्ट्र राज्य के सोलापूर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग अहमदनगर - सोलापुर - अक्कलकोट- महाराष्ट्र / कर्नाटक सीमा ग्रीनफील्ड संरेखण किमी से 418/800 से कि.मी. 547/000 के भूखण्ड के निर्माण (छह /आठ लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख 19/04/2025 को लोकमत (मराठी) और दैनिक इंडियन एक्सप्रेस (अंग्रेजी) दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

जबकि सक्षम प्राधिकारी को धारा 3-ग के तहत दायर आपत्ति प्राप्त हुई है, जिस पर विचार किया गया है और उसका उचित रूप से निपटान किया गया;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के सोलापूर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग अहमिनगर - सोलापुर - अक्कलकोट- महाराष्ट्र / कनागटक सीमा ग्रीनफील्ड संरेखण दकमी से 418/800 से दक.मी. 547/00 तक के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: महाराष्ट्र			जिले का नाम: सोलापूर		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/ हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: अक्कलकोट					
गांव का नाम: मैंदर्गी (ग्रामीण)					
1	502	निजी	एग्रीकल्चर	0.04	सुरेश बसवंतप्पा दिवटी
2	508	निजी	एग्रीकल्चर	0.0239	इरव्वा मल्लिनाथ म्हेत्रे, शिवनिगप्पा शामराया दिवटे, शिवचलप्पा शामराया दिवटे
3	509	निजी	एग्रीकल्चर	0.29	कल्याणी सिद्रामप्पा दिवटी, गुरुपादप्पा शरणप्पा दिवटी
4	511	निजी	एग्रीकल्चर	0.1076	चनम्मा इरप्पा दिवटी
5	512	निजी	एग्रीकल्चर	0.1485	गुरुपादप्पा शरणप्पा दिवटी, भीमाशंकर शरणप्पा दिवटी
6	515	निजी	एग्रीकल्चर	0.01	झैराबी अब्दुलगनी तलमोड, हाजुमाबी अब्दुलगनी तलमोड
7	518	निजी	एग्रीकल्चर	0.09	महामधानिफ ए. गनी तालमोड, जाविद ए. गनी तालमोड, एलिसो ए. गनी तालमोड
			Total	0.71	

[फा. सं. NHAI/PIU/SLP/LA/AD-2021-22/3D]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th March, 2026

S.O. 1425(E).— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, **1443 Dated:26/03/2025** , published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (Six/Eight-laning etc.), manintenance management and operation of National Highway, in the stretch of land for newly proposed Ahmednagar - Solapur - Akkalkot- MH/KN Border Greenfield alignment from Km. 418/800 to Km. 547/00 (Maharashtra Section) in Solapur District in the State of Maharashtra.

And whereas the substance of the said notification has been published in "Lokmat" and "Indian Express" both dated 19/04/2025; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas the Competent Authority has received objections filed under Section 3-C, considered and settled the same appropriately;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land for the newly proposed Ahmednagar - Solapur - Akkalkot- MH/KN Border Greenfield alignment from Km. 418/800 to Km. 547/00 in Solapur District in the State of Maharashtra

State: MAHARASHTRA			**District: SOLAPUR**		
Sl. No.	**Survey/Plot Number**	**Type of Land**	**Nature of Land**	**Area (in Hectares)**	**Name of Land Owner/Interested Person**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Taluk: Akkalkot					
Village: Maindargi (Rural)					
1	502	Private	Agriculture	0.04	Suresh Basvantappa Divati
2	508	Private	Agriculture	0.0239	Iravva Mallinath Mhetre, Shivnigappa Shamraya Divate, Shivchalappa Shamraya Divate
3	509	Private	Agriculture	0.29	Kalyani Sidramappa Divati, Gurupadappa Sharnappa Divati
4	511	Private	Agriculture	0.1076	Chanamma Irappa Divati

5	512	Private	Agriculture	0.1485	Gurupadappa Sharnappa Divati, Bhimashankar Sharnappa Divati
6	515	Private	Agriculture	0.01	Zairabi Abdulgani Talmod, Hajumabi Abdulgani Talmod
7	518	Private	Agriculture	0.09	Mahamadhanif A. Gani Talmod, Javid A. Gani Talmod, Alliso A. Gani Talmod
			Total	**0.71**	

[F. No. NHAI/PIU/SLP/LA/AD-2021-22/3D]

SHAIKH AMINKHAN, Director

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA